

प्रेषक,

श्री श्री प्रकाश पुस्तक
मार्ग संस्थान
अखिल प्रवेश विद्यालय ।

सेवा में,

श्री श्री शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश,
कक्षा 171-2, गुरुदासपुर, गौरीगंगा,
बिजनौर ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलै 2003


विषय:- **श्री श्री प्रकाश पुस्तक मार्ग संस्थान, गौरीगंगा की छात्रावासियों की शिक्षा के संबंध में अनुपत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का विषय ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सदभित विद्यालय को छात्रावासियों नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इका मिलेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

—2—


Principal

Rafi Public Sr. Sec. School
(Affl No 2130706)
Bisalpur (Pilibhit)


Manager

Shafi Khan M.M. Educational Society
Bisalpur (Pilibhit)

- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूझ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री प्रकाश मुखर्जी
संयुक्त शिक्षक ।


पूर्वसंख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, पीलीभीत ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **श्री राजेश रतन बीकानूर, पीलीभीत ।**
- 6- गार्ड दफ्त ।

आज्ञा सं.

श्री प्रकाश मुखर्जी
संयुक्त शिक्षक ।


Principal

Shafi Public Sr. Sec. School
(AFFI No 2130706)
Bisalpur (Pilibhit)


Manager

Shafi Khan M.M. Educational Society
Bisalpur (Pilibhit)